(b) if so, the terms of the offer; and

(c) whether the offer has been accepted by Government?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi)**: (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The detailed terms of the offer are being negotiated. It has been decided to accept the offer subject to satisfactory finalization of the terms.

**Maharaja of Sikkim**

*910. **Shri Rameshwar Tantia:**
**Shri P. C. Borooah:**
**Shri P. R. Chakraverti:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Maharaja of Sikkim has approached the Government of India to change his title to "His Highness the Chogyal of Sikkim";

(b) if so, whether Government have recognized the change of title; and

(c) whether it is also a fact that the Maharaja has been requesting for a revision of the Treaty of 1950?

**The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon)**: (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

**फिल्म सैंसर बोर्ड**

*911. **श्री युद्धवीर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्रों का सामाजिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक स्तर तेजी से गिरने के कारण सरकार का विचार फिल्म सैंसर बोर्ड का पुनर्गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनर्गठन करते समय किन-किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जायेगा ; और

(ग) उक्त पुनर्गठन कब किये जाने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

**Naga Peace Talks**

*914. **Shri D. C. Sharma:**
**Shrimati Savitri Nigam:**
**Shri P. C. Borooah:**
**Shrimati Renuka Barkataki:**
**Shri P. Venkatasubbaiah:**
**Shri Ravindra Varma:**
**Shrimati Johraben Chavda:**
**Shri Kishen Pattnayak:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the up-to-date progress made by the Peace Mission in their talks with Naga Leaders; and

(b) the stage at which the matter stands at present?

**The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon)**: (a) and (b). The Peace Mission had submitted certain proposals under their letter of 20th December, 1964. A copy of the Peace Mission's proposals was placed on the Table of the House on 22nd February, 1965 in answer to Starred Question No. 63.

The Government of India's reaction to these proposals had also been stated on the same occasion.

Subsequent to that two meetings were held on the 24th February, 1965 and 6th April, 1965 at which the question of whether both sides accept the Peace Mission's proposals as a basis

for further negotiations was discussed.

The Underground Nagas have upto now not given a categorical acceptance of these proposals of the Peace Mission as a basis for further negotiations. However, discussions between the Peace Mission and the Underground Naga leaders in this connection are still in progress.

### श्री अफ़ज़ल बेग का पारपत्र के लिये आवेदन-पत्र

*915. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (जम्मू तथा काश्मीर राज्य के) श्री अफ़ज़ल बेग, श्री गनी पीर तथा बेगम अब्दुल्ला ने अपनी हज यात्रा के लिए पारपत्रों के लिये जो आवेदन-पत्र दिये थे उनमें अपनी राष्ट्रीयता क्या बताई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन ) भारतीय पासपोर्ट के लिए निर्धारित आवेदन फार्म में, आवेदक को निम्नलिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करने होते हैं :

> "मैं सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय नागरिकता न तो खोई है, न छोड़ी है, और न मैं उससे वंचित ही किया गया हूं और प्रश्नावली के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है, वह ठीक है ।"

मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग और पीर अब्दुल गनी, दोनों ने मई 1964 में पासपोर्ट के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों तथा नवम्बर 1964 के आवेदन-पत्रों में भी नागरिकता की इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे । आवेदन-फार्म में प्रविष्ट नंबर 9 "पिता का नाम और जन्म का स्थान और तारीख" के सामने उन्होंने मई 964 के आवेदनों में "काश्मीरी (जम्मू तथा काश्मीर राज्य का प्रथम श्रेणी का प्रजाजन )", और नवंबर 1964 के आवेदनों में, "काश्मीरी मुस्लिम" लिखा था । मई 1964 और नवंबर 1964 के आवेदनों में प्रश्न 16 के सामने क्रमशः यही वर्णन दोहराया गया : "क्या आप पंजीयन/देशीयकरण के द्वारा भाररतीय नागरिक हैं? यदि हां, तो अपने पंजीयन/देशीयकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति साथ लगाएं", लेकिन मिर्ज़ा बेग ने अपने नवंबर 1964 के आवेदन-पत्र में उपवाक्य "भारतीय भाग" जोड़ दिया था । उनके मामले में दोनों आवेदन-पत्रों में इस प्रश्न का उत्तर "नहीं" अथवा "लागू नहीं होता" होना चाहिए था, और इसलिए, दोनों आवेदन-पत्रों में प्रश्न 16 के उत्तर असंगत थे ।

बेगम अब्दुल्ला के बारे में, शेख अब्दुल्ला ने 25 नवंबर 1964 के अपने आवेदन-पत्र में अपनी पत्नी का वैधिक विवरण दे दिया और उस के लिए भी एक पासपोर्ट मांगा । उसके लिए एक पासपोर्ट जारी कर दिया गया जो 13-1-65 से 12-7-65 तक के लिए वैध है । शेख अब्दुल्ला द्वारा आवेदन-पत्र में लिखित विवरण सदन को उस वक्तव्य में दे दिया गया है जो 5 अप्रैल, 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 742 के उत्तर में सदन की मेज़ पर रखा गया था ।

### Chinese Foreign Minister's Statement in Nepal

*916. **Shri Hari Vishnu Kamath:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether at a recent function arranged by the Nepal Government in honour of the Chinese Foreign Minister, the latter vilified India;

(b) if so, what exactly did he say;

(c) whether India's ambassador to Nepal was present on the occasion;